

विषय :- सोनपुर मंडल के गोरौल एवं कुढ़नी के बीच स्थित समपार फाटक सं 22/C को खुली अवस्था में गाड़ी सं. 15550 का पार कर जाना ।

दिनांक 15.12.2023 को कार्यरत स्टेशन मास्टर, गोरौल के द्वारा गैर-अंतर्पालित इंजीनियरिंग समपार फाटक सं. 22/C को गाड़ी संख्या 13225 अप एवं गाड़ी संख्या 15550 डाउन के लिए बंद कराया गया । गाड़ी संख्या 13225 अप समपार से पास करने के बाद गेट पर काफी भीड़ होने के कारण कार्यरत गेटमैन ने स्टेशन मास्टर से टेलीफोन के माध्यम से गेट को खोलने की अनुमति माँगी । कार्यरत स्टेशन मास्टर के द्वारा गेट को खोलने की अनुमति मौखिक रूप से दी गई, परन्तु गेटमैन एवं स्टेशन मास्टर के बीच प्राइवेट नं. का आदान-प्रदान नहीं किया गया । गेटमैन के द्वारा बैनर फ्लैग लगाकर समपार फाटक को सड़क यातायात के लिए खोल दिया गया । इसी बीच भगवानपुर स्टेशन से गाड़ी संख्या 15550 डाउन खुलने के बाद भी गेटमैन को गाड़ी के सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं दी गई, जैसा कि ऑडियो क्लिप के अनुसार मौखिक वार्ता के समय आश्वासन दिया गया था । स्टेशन मास्टर गोरौल द्वारा समपार फाटक सं 22/C को पुनः बंद होना सुनिश्चित किये बिना ही गाड़ी संख्या 15550 को धू कर दिया गया, जिसके कारण उक्त गाड़ी समपार फाटक को खुली अवस्था में पार करके खड़ी हो गई और बैनर फ्लैग का लोको पायलट दवारा उल्लंघन किया गया ।

इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए निम्नलिखित सावधानियां बरती जानी चाहिए :-

1. गेट को एक बार सड़क यातायात के लिए बंद किये जाने पर गेटमैन दवारा किसी भी हालत में नहीं खोला जाना चाहिए, जब तक कि इसके लिए स्टेशन मास्टर द्वारा प्राइवेट नं. के आदान-प्रदान के तहत अधिकृत न किया जाय ।
2. स्टेशन मास्टर को ब्लाक सेक्शन में गाड़ी के प्रवेश की अनुमति से पूर्व सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी गैर-अंतर्पालित समपार फटक बंद कर दिए गये हैं ।
3. बैनर फ्लैग/लाल बत्ती को प्रत्येक बार गेट खोलने के समय गेट से 5 मीटर की दूरी पर गाड़ी आने की दिशा में लगाया जाना चाहिए ।
4. बैनर फ्लैग यदि लगा हो तो लोको पायलट के दवारा उसका उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए तथा गाड़ी को जहाँ तक संभव हो, बैनर फ्लैग के पहले रोकने की चेष्टा करनी चाहिए ।

समस्त मंडलों को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त लापरवाही की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए परिचालन संरक्षा से संबंधित समस्त कर्मचारियों को सजग एवं सतर्क करने कि लिए ऑडियो क्लिप के साथ काउंसलिंग करें ताकि उन्हें संरक्षा के प्रति जागरूक किया जा सके । ऑडियो क्लिप सभी सभी मंडल के व.मं परि.प्र. को भेजा जा रहा है ।

१६०१२४
१६०१२४

(बी. के. दास)

मुख्य परिचालन प्रबन्धक/सामान्य

पूर्व मध्य रेल, हाजीपुर

दिनांक 16.01.2024

सं. ईसीआर/परि. संरक्षा/ चेतावनी/73/505

प्रतिलिपि :-

1. सचिव महाप्रबन्धक/पूमरे, हाजीपुर- महाप्रबन्धक महोदय को सादर सूचनार्थ हेतु ।
2. प्रधान मुख्य संरक्षा आधिकारी/पूमरे, हाजीपुर को सादर सूचनार्थ हेतु ।
3. मंडल रेल प्रबन्धक- धनबाद, डी.डी.यू, सोनपुर, समस्तीपुर एवं दानापुर को सूचनार्थ हेतु।
4. वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबन्धक- धनबाद, डी.डी.यू, सोनपुर, समस्तीपुर एवं दानापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु ।
5. प्राचार्य - क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु ।